

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल


श्रीमती मांगी बनाम जयराम बलार (वर्ग 1)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं. 54 सन 2023


नांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील न जारी हुए
------	----------------------------------	--

3.23

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

8-5-23 पत्रावली मंहगई सहित कॅम्प सेव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 ग्राम पर्यायत भादू मे पेश हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे क्षात्र पर किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थिया का प्राप पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय वृषक से लिखा जाकर शाप पर किया गया। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम थे।


हुवमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 54/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती मोगी व० गाग्र बलाई निवासी - कैरिया तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री अयराम स० श्री सुम्बा बलाई निवासी - छाणवो का खेडा तहसील - माण्डल (प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... कैरिया... पटवार हल्का... कैरिया... तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 3214/2341, 3433/2908 कुल किता 02... रकबा 1.4038 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-03-23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसागक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... कैरिया... पटवार हल्का... कैरिया... तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3214/2341, 3433/2908 कुल किता 02... रकबा 1.4038 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमस को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023